अपील सूचना अधिकार संख्या 08/2021 (GCMS 2021/13) रामचन्द्र पुत्र लालाराम जाति ब्राह्मण गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर — 335021 बनाम उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.03.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामचन्द्र उपस्थित नहीं है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2020 के द्वारा सूचना चाही थी और जो उनके द्वारा उसे आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं दिलवाने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थी रामचन्द्र ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.12.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

> विधानसभा क्षेत्र सादुलशहर ग्राम पंचायत खेरूवाला की मतदाता सूची सन् 1983, 1988, 1993 की प्रमाणित सूदा प्रतिलिपि।

लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./2020/6521 दिनांक 23.02.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि उक्त तारीख पेशी से संबंधित रिकॉर्ड इस कार्यालय के कनिष्ठ सहायक श्री सुरेन्द्र कुमार के साथ भिजवाया जा रहा है। साथ ही अपीलार्थी के अपील पत्र के सन्दर्भ में टिप्पणी इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री रामचन्द्र पुत्र लालाराम 29.12.2020 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। सूचना इस कार्यालय से नही होने के कारण आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार), सादुलशहर की सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

के पत्र क्रमांक आरटीआई/2020/6292 दिनांक 01.01.2021 को अंतरित कर दी गयी साथ इसके संबंध में अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आरटीआई/2020/6293 दिनांक 01.01.2021 द्वारा सूचित कर दिया गया था।

उक्त आवेदन के निस्तारण में तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा कार्यालय के पत्रांक 1 दिनांक 15.01.2021 को चाही गई सूचना की निर्धारित फीस जमा कराने के लिए अपीलार्थी को पत्र भेजा गया। परन्तु अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर में निर्धारित फीस डाक द्वारा भारतीय पोस्टल ऑर्डर रूपये 50/— जमा करवायी गई। उक्त राशि को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आरटीआई/2020/6438 दिनांक 19.01.2021 को सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार), सादुलशहर को भिजवा दी गई। साथ इसके संबंध में अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आरटीआई/2020/6439 दिनांक 19.01.2021 द्वारा सूचित कर दिया गया था।

चाही गई सूचना की निर्धारित फीस जमा होते ही सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार), सादुलशहर के पत्र क्रमांक राजस्व/2021/60 दिनांक 22.01.2021 द्वारा विधानसभा क्षेत्र सादुलशहर अभिलेख संबंधित मतदाता सूची 1993 की उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवा दी गई थी। शेष मतदाता सूची 1983, 1988 को रिकॉर्ड तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं दी जा सकी।

प्रतिवेदन सादर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-

लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार(राजस्व), सादुलशहर ने अपने पत्रांक राजस्व/2021 दिनांक 22.01.2021 के द्वारा अपीलार्थी को उसके प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2020 का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत आपके द्वारा चाही गई सूचना विधानसभा क्षेत्र सादुलशहर ग्राम पंचायत खेरूवाल की मतदाता सूची सन् 1983 व सन् 1988 से संबंधित रिकॉर्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। विधानसभा क्षेत्र सादुलशहर ग्राम पंचायत खेरूवाल की मतदाता सूची सन् 1993 का उपलब्ध रिकॉर्ड की प्रमाणित पत्र के संलग्न कर भिजवाया जा रहा हैं
>
> **संलग्न : मतदाता सूची सन् 1993 कुल पृष्ठ 24**
>
> -sd-
> तहसीलदार (राजस्व)
> सादुलशहर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 22.01.2021 से सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा चुकी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 22.01.2021 से दिया गया उत्तर** सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर एवं तहसीलदार(राजस्व), सादुलशहर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर